# मंत्रिमंडल की संविदा कर्मियों की तैनाती नीति में संशोधन की मंजूरी

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 5 मई : मंत्रिमंडल की बैठक में समय-समय पर संशोधित संविदा कर्मियों की तैनाती नीति 2022 (डिप्लॉइमेंट ऑफ कन्टैक्चूअल पर्सनज पॉलिसी 2022) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधनों के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (एचकेआरएनएल) द्वारा लगाए गए जुर्माने से संबंधित प्रावधान को हटा दिया गया है। इन प्रावधानों को रद्द करने के उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के लिए वेटेज संबंधित प्रावधानों को भी में हटा दिया गया है। तदनुसार नीति से सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है। आज का निर्णय भारत और विदेश दोनों में, निजी क्षेत्रों में एचकेआरएनएल के माध्यम से की जाने वाली कर्मियों की तैनाती पर भी लागू होगी। निगम राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। लेवल-1 जॉब रोल के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, जो ग्रुप डी कर्मचारियों के बराबर है। आरक्षण रोस्टर अब जॉब रोल की बजाय राज्य स्तर पर इंडेंट वाइज और नौकरी के स्तर के अनुसार तैयार किया जाएगा। निगम उम्मीदवारों को किसी संगठन में भेजने से पहले सॉफ्ट स्किल्स में प्री-डिपार्चर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रदान करेगा। नीति के तहत स्वेच्छा से इस्तीफा देने वाले उम्मीदवारों को भविष्य में विचार से बाहर रखने के लिए आवश्यक प्रावधान भी किए गए हैं। लेवल-1 पर पहले से तैनात कर्मचारियों को उच्च-स्तरीय नौकरी में जाने की अनुमति दी जाएगी। बशर्ते वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव (एचआरडी में) होंगे।

**कैबिनेट के फैसले** • एआई योजना पर 474 करोड़ होंगे खर्च

# कच्ची नौकरियों में भी अनुभव के अंकों का लाभ नहीं मिलेगा

भास्कर न्यूज | चंडीगढ़

सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सोमवार को कई फैसले लिए गए। नीति से सामाजिक-आर्थिक मानदंडों और अनुभव के सभी संदर्भों को हटा दिया गया है। यह निर्णय भारत व विदेश दोनों में, निजी क्षेत्रों में एचकेआरएनएल के माध्यम से की जाने वाली कर्मियों की तैनाती पर भी लागू होगी। निगम राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पंजीकृत आवेदकों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अब एचकेआरएनएल में लेवल-1 जॉब रोल के लिए अधिकतम आयु सीमा 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, जो ग्रुप डी कर्मचारियों के बराबर है। आरक्षण रोस्टर जॉब रोल के बजाय राज्य स्तर पर इंडेंट वाइज व नौकरी के स्तर के अनुसार तैयार किया जाएगा। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी अब हरियाणा के मुख्य सचिव (एचआरडी में) होंगे। एचकेआरएनएल द्वारा लगाए जुर्माने से संबंधित प्रावधान हटा दिया है।

**नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क माफ :** राज्य में नई गौशाला के लिए भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को माफ करने को स्वीकृति प्रदान की गई। पंजीकृत गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट के किसी भी सदस्य के व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से काम नहीं करेगा। पंजीकृत गौशाला, सोसायटी, ट्रस्ट अपना काम ऐसे नियमों और शर्तों के अनुसार करेंगे, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग या पशुपालन विभाग, हरियाणा द्वारा लगाए जा सकते हैं। 2025-2028 की अवधि के लिए हरियाणा एआई विकास परियोजना (एचएआईडीपी) को मंजूरी दी गई, जिस पर 474.39 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंत्रिमंडल ने बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रयोजन संस्था के गठन को भी मंजूरी दी। इसमें विश्व बैंक और हरियाणा सरकार के बीच 70:30 का वित्त पोषण अनुपात है। इसके लिए गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर (जीएआईसी) और पंचकूला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी बनेगा। परियोजना एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस में 50,000 से अधिक पेशेवरों के लिए कौशल विकास और कार्यबल परिवर्तन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। एसपीवी एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में काम करेगी, इसके अध्यक्ष सीएम के मुख्य प्रधान सचिव होंगे।

## शहीद की पत्नी को आवासीय प्लॉट मिलेगा

फरीदाबाद के गांव अटाली निवासी शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने के ग्राम पंचायत अटाली (जिला फरीदाबाद) के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। नायक संदीप ने 19 फरवरी, 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया था।